

दिनांक 22.12.2023 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) के प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- यथा पंजी अनुसार

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में सर्वप्रथम प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा एजेन्डा में शामिल योजनाओं से अवगत कराया गया तथा समिति द्वारा गहन समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया।

1. लातेहार जिला के मुख्य मार्ग/ चिह्नित स्थानों/ विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रीकल डेकोरेटिव स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन कराने हेतु दिनांक 04.10.2023 के प्रबंधकीय समिति एवं दिनांक 06.10.2023 के न्यास परिषद की बैठक में प्रस्तावित एवं स्वीकृत योजना में अनुलग्नक 'क' के क्रमांक 687 में उल्लेखित है।
2. कार्यालय आदेश ज्ञापांक 456/डी0एम0एफ0टी0 दिनांक 02.12.2023 के द्वारा इलेक्ट्रीकल डेकोरेटिव स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कराने हेतु जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, लातेहार को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए दैनिक समाचार पत्रों/ जिला के वेबसाइट के माध्यम से इच्छा की अभिव्यक्ति/ रेट कॉन्ट्रैक्ट/ निविदा प्रकाशित करते हुए विभागीय नियमानुसार संबंधित योजना का डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु मांग की गई थी। उक्त के आलोक में कार्यकारी एजेंसी जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 157/ जिला पर्यटन दिनांक 21.12.2023 के द्वारा निम्नांकित स्थलो पर इलेक्ट्रीकल डेकोरेटिव स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कराने हेतु पत्र प्राप्त है। विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	स्थल	संख्या
1	नेतरहाट (अरुणोदय अतिथि गृह, शैले हाउस, लेक व्यू प्वाईट, कोयल व्यू प्वाईट)	260 अद्द
2	लातेहार (परिसदन भवन नया एवं पुराना, मेन रोड से साई मन्दिर तक, मितल पेट्रोल पम्प से भारुका पेट्रोल पम्प तक)	262 अद्द

3. कार्यकारी एजेंसी जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा प्रकाशित की गयी निविदा के आलोक में चयन समिति के द्वारा चयनित निविदादाता का निर्धारित L-1 दर मो0- 2,36,203/- रुपये मात्र एवं अतिरिक्त GST 18% प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 01 अद्द की कुल राशि मो0- 2,78,719.50/- रुपये मात्र है।





4. झारखण्ड गजट संख्या 134 दिनांक 10.02.2017 के कंडिका- 03 (iv) में निहित प्रावधान के अनुसार एक करोड़ से अधिक एवं पाँच करोड़ तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर डी०एम०एफ०टी० के प्रबंधकीय समिति द्वारा दिया जाना है। उक्त के आलोक में निम्नलिखित योजनाओं का निर्माण/क्रियान्वयन डी०एम०एफ०टी० मद से कराने हेतु प्रबंधकीय समिति के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित एवं स्वीकृत किया गया है।


क्र०	स्थल	संख्या	राशि
1	नेतरहाट (अरुणोदय अतिथि गृह, शैले हाउस, लेक व्यू प्वाइंट, कोयल व्यू प्वाइंट)	260 अद्द	4,94,45,552/-
2	लातेहार (परिसदन भवन नया एवं पुराना, मेन रोड से साई मन्दिर तक, मितल पेट्रोल पम्प से भारुका पेट्रोल पम्प तक)	262 अद्द	4,98,24,162/-

(अनुपालन : प्रभारी पदाधिकारी, डी०एम०एफ०टी०, लातेहार/ जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, लातेहार)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

  
प्रभारी पदाधिकारी,  
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।


  
उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,  
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।


  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।


ज्ञापांक...५४९...../डी०एम०एफ०टी०, दिनांक...२२/१२/२०२३

प्रतिलिपि :- प्रबंधकीय समिति डी०एम०एफ०टी० के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यकारी एजेंसी, जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
प्रभारी पदाधिकारी,  
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।

  
उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव,  
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।

  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
डी०एम०एफ०टी०, लातेहार।